संख्या–वे0आ0–2– 1122/ दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कुलपति का वेतनमान के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कुलपति का वेतनमान के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

> " छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 25000/– नियत के स्थान पर दिनांक 30 जुलाई, 2008 से वेतनमान रू0 26000/– नियत (पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 80000/–नियत) अनुमन्य कराया जाय।"

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

.....2/

संख्या–वे0आ0–2–1124(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।